# आर्थिक एवम् सांख्यिकी विभाग
# हिमाचल प्रदेश सरकार

## प्रशासकीय प्रतिवेदन 2020–21

हिमाचल प्रदेश में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग वर्ष 1955–56 में अस्तित्व में आने के उपरान्त कार्यरत है। आर्थिक एवम् सांख्यिकी विभाग का प्रमुख कार्य राज्य सरकार को आर्थिक एवम् सांख्यिकी से सम्बन्धित सलाह उपलब्ध करवाना है, जो कि नीति व योजना के कार्य में सहायक हो। मुख्य तौर पर यह विभाग राज्य के आर्थिक विकास को राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा आंकलित/आर्थिक स्वरूप की सूचनाओं, गणना एवम् सर्वेक्षणों के माध्यम से दर्शाता है।

## 1. विभाग के कार्य तथा गतिविधियों का विवरण

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियम 1971 के अनुसार निम्नलिखित विषय विभाग को निष्पादन हेतु आबंटित किए हैंः–

1. राज्य आय का संकलन
2. सार्वजनिक वित्त
3. सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण
4. ग्रामीण विकास सांख्यिकी
5. कर्मचारियों की गणना
6. राज्यकीय आंकड़े
7. भाव सम्बन्धित आंकड़े
8. श्रम आंकड़े
9. सांख्यिकीय प्रशिक्षण
10. कार्यक्रमों का मूल्यांकन
11. अन्य विभागों के सांख्यिकी सम्बन्धी कार्यों में समन्वय
12. राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के बजट का आर्थिक वर्गीकरण
13. संस्थापन, बजट व लेखा

उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त वर्ष 1971 के बाद निम्नलिखित विषय विभाग को निष्पादन हेतु आवंटित किये गए हैंः–

1. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण
2. जन–जातीय अनुसंधान/अध्ययन
3. आवास व भवन निर्माण सांख्यिकी
4. विकास खण्ड स्तर पर आंकड़ों का एकत्रीकरण व संकलन

5. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
6. आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण
7. जिला वार आय अनुमान
8. स्वीकृत/भरे हुए पदों का विभागानुसार कर्मचारियों से सम्बन्धित आंकड़े
9. आर्थिक सर्वेक्षण
10. पूंजी निर्माण सांख्यिकी
11. जिला सुशासन सूचकांक

विभाग का प्रमुख कार्य राज्य में आंकड़ों से सम्बन्धित एक ठोस आधार तैयार करना है जो कि समय–समय पर सरकार को नीति निर्माण के लिए आंकड़े उपलब्ध करवाए गए। इसके साथ सकल घरेलू उत्पाद का संकलन, आर्थिक विकास की दर का आकलन, अनुसंधान एवं सर्वेक्षण तथा विभिन्न विभागों के सांख्यिकी सम्बन्धित कार्यों में समन्वय स्थापित करना है।

## 1.1 राज्य आय का संकलन

राज्य की आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए राज्य तथा जिलावार आय के अनुमानों को एक अभिज्ञात महत्वपूर्ण व विश्वसनीय संकेतांक माना जाता है जो कि इस विभाग का मुख्य कार्य है। इन अनुमानों को प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानों को आंकने के कार्य को विभाग द्वारा पूरा किया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र से सम्बन्धित विकास उन्मुख योजना की सफलता को मापने के लिए उस क्षेत्र के योगदान व वृद्धि को आंकना अनिवार्य है। खण्ड/क्षेत्रीय विकासात्मक असन्तुलन, कर का निर्धारण, नीतियों व केन्द्र से सहायता प्राप्ति के लिए राज्य आय अनुमानों का अध्ययन आवश्यक है।

इस वर्ष के दौरान विभाग द्वारा नए आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार प्रथम संशोधित वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक (वास्तविक), 2018–19 के ( द्वितीय संशोधित), 2019–20 (प्रथम संशोधित) व 2020–21 (अग्रिम) अनुमान तैयार किये गये। राज्य प्रशासन व योजनाकारों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए विभाग ने राज्य अनुमान 2011–2012 आधार वर्ष के अनुसार प्रचलित व स्थिर भावों पर 2011–2012 से 2020–21 के अनुमानों की पत्रिका (पैम्पलेट) प्रकाशित किया।

## 1.2 सार्वजनिक वित्त

विभाग प्रति वर्ष सरकारी बजट व स्थानीय निकायों के बजट का आर्थिक वर्गीकरण करता है जो कि सरकारी निधि के मुख्य व उप–शीर्ष के अन्तर्गत बजट के प्रवाह को समझने व विश्लेषण के लिए आवश्यक है। राज्य बजट को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए संक्षिप्त बजट 2021–22 प्रकाशित किया गया। हिमाचल प्रदेश के बजट वर्ष 2018–19 (वास्तविक), 2019–20 (संशोधित), 2020–21 (बजट) से सम्बन्धित आर्थिक वर्गीकरण पुस्तिका प्रकाशित की गई। स्थानीय निकायों ग्रामीण एवं नगरीय हिमाचल प्रदेश के बजट का

आर्थिक वर्गीकरण एवं वर्ष 2018–19 (वास्तविक), एवं 2019–20 (संशोधित) व 2020–21 (बजट) के लिए पुस्तिका तैयार की गई।

## पूंजी–निर्माण के अनुमान का संकलन

विभाग प्रतिवर्ष पूंजी निर्माण के अनुमानों के संकलन का कार्य करता है जिसमें पूंजी निर्माण के अनुमानों का संकलन केवल सरकारी अर्ध सरकारी व स्वायतशासी संस्थाओं के लिए ही किया जा रहा हैं। सरकारी क्षेत्र से सम्बन्धित इन अनुमानों को "वर्ष 2018–19 (वास्तविक), व 2019–20(संशोधित) तथा 2020–21 (बजट) तैयार कर लिया गया है।

## 1.3 सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण

### (i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम में 27वें दौर जो कि सन 1972 में आरम्भ हुआ था, से भाग ले रहा है और जनवरी, 2020 से 78वें दौर में प्रवेश कर गया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में विभिन्न विषयों पर क्षेत्रीय कार्य किये जाते है। राज्यों में यह कार्य भारत सरकार द्वारा प्रतिदर्श आधार पर आबंटित किया जाता है। इस विशाल कार्य में घर–घर पहुॅचकर सूचना एकत्रित की जाती है, जिसके लिए व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय अन्वेषकों की आवश्यकता होती है। क्षेत्रीय कार्य उपरान्त सभी भरी हुई अनुसूचियों की पूर्णतया संवीक्षा की जाती हैं। इस सम्पूर्ण कार्य के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। विभाग द्वारा अब एकत्रित आंकड़ों का सारणीकरण मुख्यालय स्तर पर किया जा रहा है। व्यक्तियों/संस्थाओं से एकत्रित किए गए आंकड़ों को गोपनीय रखा जाता है और उनका उपयोग केवल विकास योजनाओं तथा अनुसंधान के लिए किया जाता है।

**चालू वर्ष के दौरान :–**

1. 75वें दौर का एकीकरण कार्य प्रगति पर है।
2. 76वें दौर का एकीकरण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ क्योंकि जब तक भारत सरकार द्वारा इसकी पूलिंग कार्यशाला आयोजित नहीं करवाई जाती तब तक इसका एकीकरण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता।
3. 75वें व 76वें दौर का सारणीकरण कार्य पूर्ण किया गया।
4. 77वें दौर का वैधीकरण कार्य पूर्ण किया गया।
5. 78वें दौर का क्षेत्रीय कार्य पूर्ण किया गया।

### (ii) भवन निर्माण आंकड़े/सांख्यिकी

थ्री–टीयर प्रणाली के अन्तर्गत विभाग राष्ट्रीय भवन संगठन के लिए भवन निर्माण से सम्बन्धित सांख्यिकी को एकत्रित करने का कार्य करता है तथा इसमें दोनों सरकारी व निजी भवनों के निर्माण से सम्बन्धित सूचनाएं

सम्मिलित की जाती हैं। इस वर्ष तिमाही स्तर पर माह दिसम्बर, 2020 तक भवन निर्माण भाव सूचकांक तैयार कर जारी कर दिया गया है।

**(iii) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक**

नये आधार वर्ष 2011–12 पर आधारित चयनित 155 मद की सूचना के आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसम्बर, 2020 तिमाही के लिए तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

**(iv) उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण**

वर्ष 2017–18 की 294 चयनित औद्योगिक ईकाइयों के आंकड़ों का सारणीकरण/एकीकरण कार्य पूर्ण किया गया तथा 2018–19 की 268 चयनित औद्योगिक ईकाइयों से आंकड़े एकत्रीकरण/वैधीकरण का कार्य प्रगति पर है।

**(v) जिला राज्य आय अनुमान**

आधार वर्ष 2011–12 पर आधारित वर्ष 2018–19 व 2019–20 के लिए जिलावार आय अनुमान तैयार कर लिए गए हैं।

## 1.4 ग्रामीण विकास सांख्यिकी

विभाग खण्ड स्तर पर आंकड़ें एकत्रित कर खण्ड स्तरीय प्रकाशन तैयार करता है। खण्ड स्तरीय विकास सूचकांक प्रकाशन जिला सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष के दौरान निम्न खण्ड स्तरीय प्रकाशन प्रकाशित किये गयेः–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | खण्ड विकास सूचकांक, जिला बिलासपुर | 2019–20 |
| 2 | खण्ड विकास सूचकांक, जिला चम्बा | 2019–20 |
| 3 | खण्ड विकास सूचकांक, जिला हमीरपुर | 2019–20 |
| 4 | खण्ड विकास सूचकांक, जिला कांगड़ा | 2019–20 |
| 5 | खण्ड विकास सूचकांक, जिला किन्नौर | 2019–20 |
| 6 | खण्ड विकास सूचकांक, जिला कुल्लू | 2019–20 |
| 7 | खण्ड विकास सूचकांक, जिला लाहौल–स्पिति | 2019–20 |
| 8 | खण्ड विकास सूचकांक, जिला मण्डी | 2019–20 |
| 9 | खण्ड विकास सूचकांक, जिला शिमला | 2019–20 |
| 10 | खण्ड विकास सूचकांक, जिला सिरमौर | 2019–20 |
| 11 | खण्ड विकास सूचकांक, जिला सोलन | 2019–20 |
| 12 | खण्ड विकास सूचकांक, जिला ऊना | 2019–20 |

## 1.5 कर्मचारी गणना

विभाग प्रतिवर्ष 31 मार्च को हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सभी कर्मचारियों की गणना करता है। इसके लिए विभिन्न विभागों, निगमों, स्थानीय निकायों व अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से सूचना ली जाती है फिर उसे विवेचना उपरान्त वर्गीकृत किया जाता है इस

प्रकार इसे व्यापक स्वरूप में प्रकाशित किया जाता है। इस वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की गणना 31 मार्च, 2020 रिपोर्ट संकलित की गई।

## 1.6 राज्य का आंकड़ा भण्डार

विभाग सभी प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करने, संवीक्षा, विश्लेषण, व विवेचन करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। विभाग योजना/नीति निर्धारकों और शोधकर्ताओं को विभिन्न प्रकाशनों जैसेः–(i) सांख्यिकीय पुस्तिका (ii) राज्य का सांख्यिकीय सारांश (iii) हिमाचल प्रदेश के संक्षिप्त आंकड़े (iv) सतत विकास लक्ष्य तथा जिला सुशासन सूचकांक और इसके अतिरिक्त जिला/खण्ड स्तर के सांख्यिकीय सारांश जैसे प्रकाशनों के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध करवा रहा हैं।

### (i) प्रलेखन

वर्तमान आंकड़ों को ज्यादा अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने तथा समरूपता व नियमितता लाने के लिए मुख्यालय में सभी प्रकार के प्रकाशनों का प्रलेखन कार्य किया जा रहा है। इस विभाग में, जिलों से प्राप्त प्रकाशनों का तुलनात्मक विश्लेषण कर आंकड़ों को ज्यादा अच्छे ढंग से संशोधित कर प्रस्तुत किया जाता है।

### (ii) आपदाओं से संबंधित आंकड़ों का एकत्रीकरण

विभाग द्वारा आपदाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। वर्ष 2019–20 के आंकड़े एकत्रित करके संकलित किए गए हैं।

## 1.7 भाव सम्बन्धित आंकड़े

कीमतों का एकत्रीकरण एवं संकलन आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का एक प्रमुख कार्य है यह कार्य इस लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए विभाग एक विशेष कार्य पद्धति में कार्य करता है जिससे बाजार भावों को समय पर तथा सही रूप से प्रस्तुत किया जा सके। इस सम्बन्ध में विभाग विभिन्न प्रपत्रों पर 16 नियमित प्रयोग होने वाली वस्तुएं जैसे कि अनाज, मुख्य दालें, चीनी व तेल इत्यादि के भावों को सप्ताहवार संकलित कर खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी, हिमाचल प्रदेश सरकार को नियमित रूप से प्रेषित करता है। 104 मदों के मासिक थोक एवं परचून तथा मास व मास पदार्थों के वार्षिक आधार पर भावों को एकत्रित किया जाता है। विभाग ने कीमतों के आंकलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र की मद्द से सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें कि इंटरनेट के माध्यम से कीमतों को सप्ताहवार प्रत्येक शुक्रवार को नवीनतम रूप दिया जाता है। इस प्रकार कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए विभाग बहुत ही उपयोगी भूमिका अदा कर रहा है।

विभाग भवन निर्माण सामग्री भावों को त्रैमासिक आधार पर एकत्रित कर राष्ट्रीय भवन संगठन, भारत सरकार को नियमित रूप से भेजने का कार्य भी करता है। इन सभी कीमतों के संग्रह का कार्य जिला में अनुसंधान अधिकारियों द्वारा करवाया जाता है।

## 1.8 श्रम ब्यूरो से सम्बन्धित आंकड़े

विभाग द्वारा प्रति माह पुरानी श्रृंखला आधार वर्ष (2001=100) से सम्बन्धित 67 मदों के साप्ताहिक भाव व 85 मदों के मासिक भाव 14 केन्द्रों के लिए तथा नई श्रृंखला प्रस्तावित आधार वर्ष (2016=100) 81 मदों के साप्ताहिक भाव, 102 मदों तथा 28 मदों के कपड़ों एवं जूतों से सम्बन्धित मासिक भाव 10 केन्द्रों से एकत्रित कर श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे जाते है।

## 1.9 सांख्यिकी प्रशिक्षण

अच्छा प्रशासन विकसित करने की दृष्टि से कर्मचारियों का प्रशिक्षित, दक्ष एवं उत्तरदायी होना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु तथा सांख्यिकीय सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण अनुभाग की स्थापना की गई है। वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कर्मचारियों को व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने, सांख्यिकीय सेवाओं के अन्तर्गत अवसरों व चुनौतियों से निपटने, सांख्यिकीय सलाहकार की भूमिका, नई कार्य–प्रणाली से अवगत करवाने, ज्ञान को बढ़ाने, कर्मचारियों को गतिशील बनाने, वित्तीय व सांख्यिकीय प्रबन्धन के आकार को बढ़ाने के साथ–साथ कर्मचारियों को टंकण, कम्प्यूटर, विभागीय कार्य तथा पदोन्नति पर उच्च स्तरीय कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निभाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2020–21 के लिए प्रशिक्षण कलेंडर तैयार किया गया।

गत वर्ष में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया तथा विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण ग्रहण किया गयाः–

वर्ष 2020–21 में इस विभाग में कुल–18 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण ग्रहण किया। वर्ष 2021–22 में लगभग 15 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण करवाने की योजना है।

1. हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में वित्तीय प्रशासन में तीन अनुसंधान अधिकारियों, तीन कनिष्ठ कार्यालय सहायकों ने ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त किया।

2. हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग में एक कनिष्ठ सहायक, एक कनिष्ठ कार्यालय सहायक ने ऑनलाईन अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर विकास पर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

3. सभी अधिकारिओं व कर्मचारियों ने सूचना व प्रौधोगिक विभाग द्वारा संचालित ई–आफिस के बारे में मूलभूत प्रशिक्षण प्राप्त किया।

4. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75वें दौर के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, "पूलिंग कार्यशाला" जो कि वीडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से आयोजित की गई। विभाग के एन.एस.एस. अनुभाग में समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

5. भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण वर्ष 2019–20 से सम्बन्धित कार्यशाला विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से विभाग के एन.एस.एस. अनुभाग में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

## 1.10 सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

सतत विकासात्मक लक्ष्य के अन्तर्गत् हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलोन में विभाग के 10 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

आर्थिक एवम् सांख्यिकी विभाग ने हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों तथा प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों के कनिष्ठ स्तर के सांख्यिकीय कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान दिये जाने वाले आधारभूत सांख्यिकीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अब लोक प्रशासन संस्थान को स्थानान्तरित कर दिया गया है। लोक प्रशासन संस्थान में सांख्यिकीय तथा आंकड़ों के प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन प्रशिक्षणों के लिए अधिकतर संकाय इस विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह विभाग लोक प्रशासन संस्थान के सभी प्रकार के प्रशिक्षणों में भाग लेता है।

## 1.11 अन्य विभागों के सांख्यिकी सम्बन्धी कार्यों में समन्वय

विभाग अन्य विभागों के सांख्यिकी सम्बन्धी कार्यों में समय–समय पर समन्वय स्थापित करता है।

## 1.12 राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के बजट का आर्थिक वर्गीकरण

वर्ष 2018–19, 2019–20 व 2020–21 से सम्बन्धित आंकड़े पंचायत स्तर पर एकत्रित किये गये व एस.एन.ए. 2008 के अनुसार वर्गीकरण कर पुस्तिका प्रकाशित की गई।

## 1.13 अन्य विशेष कार्यक्रम

नियमित एवं वार्षिक पत्रिकाओं के अतिरिक्त 'हिमाचल प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण' प्रत्येक वर्ष बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री के बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2020–21 का आर्थिक सर्वेक्षण विभागीय स्तर पर तैयार किया गया और विधान सभा के बजट सत्र में 5 मार्च, 2021 को प्रस्तुत किया गया।

## 1.14 सातवीं आर्थिक गणना

आर्थिक गणना के अर्न्तगत पांच वर्षों के अन्तराल पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी संगठित व असंगठित क्षेत्रों में (फसल उत्पादन एवं पौध रोपण को छोड़कर) आर्थिक क्रियाकलापों की गणना की जाती है। सातवीं आर्थिक गणना का कार्य अन्तिम दौर पर है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय (MOSPI), भारत सरकार के साथ विभिन्न कार्यों के लिए पत्राचार किया गया। विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों की रुपरेखा तय करने के लिए वर्चुल बैठकों में भाग लिया। इस गणना के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति, पर्यवेक्षकों की पहचान व राज्य एवं जिला स्तर की संचालन कार्यान्वयन समितियों का गठन व बैठकों का आयोजन किया गया।

सातवीं आर्थिक गणना का कार्य राज्य में दिनांक 26 अगस्त, 2019 से आरम्भ हो गया है। सातवीं आर्थिक गणना का कार्य सर्व सेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से

किया जा रहा है। इस कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राज्य स्तरीय संचालन समिति का सदस्य सचिव, नोडल अधिकारी एवं विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वितीय स्तर के पर्यवेक्षक ( SL-2) के रूप में कार्यरत रहे। विभाग द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय (MOSPI), भारत सरकार राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (क्षे.सं.प्र.) क्षेत्रिय कार्यालय शिमला में आयोजित सातवीं आर्थिक गणना से सम्बन्धित बैठकों में भाग लिया व MOSPI द्वारा डैश बोर्ड पर जाए अनन्तिम परिणामों की पुनः जांच करने के उपरान्त पाई गई विसंगतियों के बारे में उनसे समय–समय पर पत्राचार चर्चा Webnar के माध्यम से की गई और महत्वपूर्ण सुझाव समय–समय पर उपलब्ध करवाए गए।

## 1.15 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम–2008 और नियम 2011 का कार्यान्वयन समय–समय पर सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रचार किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत आयोग द्वारा दी गई सिफारिश पर कार्य किया जा रहा है।

## 1.16 सांख्यिकीय सुदृढणीकरण के लिए सहायता

इस योजना के अन्तर्गत् विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों की सहायता से विभिन्न सूचकांकों पर कार्य करना है। यह एक 100% वित्तीय पोषित केन्द्रीय परियोजना है तथा इसका उद्देश्य विभाग व सम्बंधित विभागों में सांख्यिकीय आधार को सुदृढ़ करना है। भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय (MOSPI) के स्तर पर जारी की नई शर्तों के अनुसार एम.ओ.यू. का प्रतिवेदन दिसम्बर, 2017 में तैयार करके मन्त्रालय को भेजा गया और 30 मई, 2018 को दोनों पक्षों द्वारा समझौता ज्ञापन अनुमोदित हो गया है। इसके अन्तर्गत् इस परियोजना को सुचारु रुप से चलाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय राज्य कार्यान्वयन समिति तथा तकनीकी कार्यों के लिए विशेषज्ञ समूह / तकनीकी समिति का गठन किया गया है। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा शुरु किये कुछ कार्यों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। इस योजना की प्रथम किशत रुपये 4.68 करोड़ की राशि जून, 2018 में प्राप्त हो गई थी। इस कार्य के अन्तर्गत लगभग ₹ 3.81 करोड़ की राशि 31 मार्च, 2021 तक व्यय की जा चुकी है। इस योजना के सुचारु परिचालन हेतु परामर्श एजेंसी हेतु सरकारी संस्था NICSI में पंजीकृत कम्पनियों को कार्य देने की योजना बनाई गई थी जो कि तकनीकी कारणों से सफल नहीं हो पाई। अब इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों को विभागीय एवं सम्बन्धित विभागों के स्तर पर तथा कुछ कार्यों को निविदा (Tender by Choice) के आधार पर किया जा रहा है। इस योजना का कार्यकाल 31–03–2021 तक था परन्तु अब इसे 30.06.2021 तक तीन माह का विस्तार दिया गया है या जब तक 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो जाती। मुख्य तौर पर विभाग इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य कर रहा है।

1. बागवानी गणना करने के लिए बागवानी विभाग, के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है तथा इस विषय में बागवानी विभाग तथा सर्व सेवा केन्द्रों (Common Service Centre) के बीच समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित हो गया है। सर्व

सेवा केन्द्र ने 100 गांवों का प्रायोगिक सर्वेक्षण (पायलट सर्वे ) किया है परन्तु यह तय मापदण्डों के अनुसार नहीं पाया गया और इस दिशा में कार्य प्रगति पर है।

2. सांख्यिकीय सुदृढ़णीकरण के लिए सहायता के अन्तर्गत् सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय (MOSPI) की स्वीकृति के उपरान्त इस योजना के अन्तर्गत सत्त विकास लक्ष्यों के सम्बन्ध में कार्यशाला के आयोजन हेतु योजना विभाग को धन उपलब्ध करवाया गया। जिसमें प्रशिक्षण के लिए विभाग के 10 तथा अन्य विभागों के लगभग 5 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया, दूसरी कार्यशाला पर भी कार्य चल रहा है।
3. निविदा (Tender by Choice) के आधार पर NCAER, नई दिल्ली को चार अध्ययन Input Output Transaction Tables, Education Satellite Accounts, Tourism Sector Satellite Accounts तथा Health Satellite Account का कार्य सौंपा गया है। चारों अध्ययनों का कार्य प्रगति पर है।
4. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय (MOSPI) द्वारा विभाग के अनुरोध पर 6 अतिरिक्त अध्ययन जोकि समझौता ज्ञापन में दी गयी राशि के अर्न्तगत ही किए जाएगें, की अनुमति प्रदान की गयी है। इनमें से निम्न चार मूल्यांकन अध्ययन योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वे निम्न हैः–

क हिमाचल प्रदेश में राज्य आवासीय योजना द्वारा आवास समस्या में सुधार।
ख हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के जीवन स्तर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम (MGNERGA) द्वारा सुधार।
ग हिमाचल प्रदेश में रेशम उत्पादन उद्योग के विकास का आंकलन।
घ प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी की हिमाचल प्रदेश में स्थिति।

5. ग्रामीण स्तर आधारभूत आंकड़ों की संरचना तैयार करने के लिए ग्रामीण स्तरीय निर्देशिका पर कार्य चल रहा है और जिसका क्षेत्रीय कार्य महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जां रहा है।
6. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय (MOSPI) द्वारा आई.टी. हार्डवेयर खरीदने की अनुमति तथा प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत आई.टी. हार्डवेयर खरीद लिये गए हैं।
7. सांख्यिकी जागरुकता विषय पर विभाग कार्य कर रहा है।
8. जिला सुशासन सूचकांक–2019–20 विषय पर भी विभाग कार्य कर रहा है।
9. जिला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक विषय पर भी मूल्यों का संकलन किया जा रहा है और जनवरी, 2022 में प्रदेश को अपना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपलब्ध होंगे।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त वित्त आयोग द्वारा निर्देशित निम्न सूचकांक भी इस योजना में परोक्ष रुप से शामिल किए गए हैं।

1 सकल घरेलू उत्पाद का बाजार मूल्यों पर आंकलन करना।
2 हरित सकल घरेलू उत्पाद को अनुमानित करना।
3 जिला आय अनुमान का आंकलन करना जिससे कि जिला आय में आने वाली विषमताओं को ध्यान रखकर नीति का निर्धारण करना।

4 74वें व 75वें संशोधनों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ऐसे आंकड़ों का आधार तैयार करेगा जिसमें शहरी व ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में मद्द मिले।

5 जिला स्तर पर व्यापार सम्बन्धित रजिस्टर तैयार करना।

6 स्थानीय निकायों के आय और व्यय का ब्यौरा लेकर स्थानीय निकायों का लेखा तैयार करना।

7 राज्य व केन्द्र के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आंकड़ों को आपस में जोड़ना (पूलिंग करना) ताकि जिला स्तरीय मानक तैयार किए जा सके।

आर्थिक सलाहकार उपर्युक्त कार्यो की देख रेख के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करते हैः–

1 केन्द्र सरकार के लिए विशेष कार्यभार, राज्य सरकार द्वारा (गठित) औद्योगिक उपक्रमों का वार्षिक सर्वेक्षण समिति की प्रधानता।

2 राज्य के मूल्य संग्रहण के प्राधिकारी ।

3 हिमाचल प्रदेश के सूचीबद्ध रोजगार के कर्मचारियों के जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक के निर्धारित करने का सक्षम प्राधिकारी।

4 हिमाचल प्रदेश लघु क्षेत्र विकास के तकनीकी कार्य समूह की सदस्यता।

5 राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सांख्यिकीय समूह की सदस्यता।

6 हिमाचल प्रदेश में गठित सांख्यिकी उच्च अधिकार समिति का सदस्य सचिव का दायित्व।

7 सदस्य के रूप में निम्न दायित्व भी निभा रहे हैः–

(क) सांख्यिकी पर राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य ।

(ख) भारत सरकार के एन.एस.एस.ओ. शासकीय निकाय के सदस्य।

## 2. जिला सांख्यिकीय कार्यालय

उपरोक्त दर्शाये कार्य जिला स्तर पर जिला सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा किये जाते हैं। इसके साथ–साथ जिला सांख्यिकीय कार्यालय जिला प्रशासन द्वारा दिए गए अन्य कार्य भी करता है।

यह विभाग आंकड़ों का केन्द्रीय संग्रहण स्थल है जो कि राज्य सरकार की समय समय पर आंकड़ों से सम्बंधित जरूरतों को पूरा करता है। इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियमित व अनियमित प्रकाशन निकाले जाते हैं, जिनके आधार पर विभिन्न विभागों से सूचनाएं एकत्रित होती है जो कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के बारे में उपयोगी जानकारी देती है। संगठित व सरकारी क्षेत्रों से तो जानकारियां सुलभता से उपलब्ध हो जाती हैं पर असंगठित क्षेत्रों की सूचनाओं के लिए प्राथमिक स्त्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है जो कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (N.S.S.) व अन्य सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित की जाती हैं। इस विभाग को राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों के लिए प्रमुख प्राधिकृत एजेंसी घोषित किया गया है। समय समय पर सही मार्गदर्शन व जानकारी विभिन्न विभागों को उपलब्ध करवाई जाती है तथा इसी प्रकार का कार्य जिला कार्यालयों द्वारा भी किया जाता है।

## 3. निर्णय लेने, निरीक्षण तथा उत्तरदायित्व के अनुसरण हेतु प्रक्रिया का बनाना।

आर्थिक सलाहकार आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के विभागाध्यक्ष है। जिला स्तर पर एक अनुसंधान अधिकारी कार्यरत है। विभाग के संवर्ग में आर्थिक सलाहकार के अतिरिक्त, 1 संयुक्त निदेशक, 2 उप–निदेशक, 17 अनुसंधान अधिकारी, 1 अधीक्षक ग्रेड–I, 1 निजी सचिव, 2 अधीक्षक ग्रेड–II, 28 सहायक अनुसंधान अधिकारी, 42 सांख्यिकी सहायक, 24 अन्वेषक, 17 वरिष्ठ सहायक और 17 लिपिक, 5 कनिष्ठ कार्यालय सहायक, 1 वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, 1 कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, 3 चालक व 37 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। विभाग में राजपत्रित/अराजपत्रित सहित कर्मचारियों की कुल संख्या 200 हैं जिसमें मार्च, 2020 को कुल 124 पदों पर कर्मचारी पदासीन थे।

## 4. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानक

विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा समय–समय पर तय किए गए कार्य संचालन नियमावली के अनुसार कार्य का पालन करता है।

## 5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

हिमाचल प्रदेश सरकार के नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की अनुसरण करते हुए विभाग अपने कार्यों को सुचारू रूप से चला रहा है।

## 6. विभाग के मुख्य प्रकाशनः–

विभाग का प्रमुख कार्य राज्य में आंकड़ों से संबंधित एक ठोस आधार तैयार करना है। इस उदेद्श्य से विभाग विभिन्न प्रकार के नियमित/ तदर्थ प्रकाशन तैयार करता है। वर्ष के दौरान विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन तैयार किए गएः–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | सांख्यिकीय वार्षिक पुस्तिका **(Statistical Year Book)** | 2019–20 |
| 2 | राज्य सकल घरेलू उत्पाद, हि.प्र. आधार वर्ष 2011–12 पम्पलैट 2020–21(अग्रिम) | |
| 3 | हि.प्र.सरकार के बजट का आर्थिक वर्गीकरण | 2020–21 (बजट) |
| 4 | हि.प्र.स्थानीय निकायों के आय–व्यय का आर्थिक वर्गीकरण | 2020–21 (बजट) |
| 5 | राज्य का सांख्यिकीय सारांश – | 2019–20 |
| 6 | आर्थिक सर्वेक्षण | 2020–21 |
| 7 | सांख्यिकीय सारांश जिला बिलासपुर | 2019–20 |
| 8 | सांख्यिकीय सारांश जिला चम्बा | 2019–20 |
| 9 | सांख्यिकीय सारांश जिला हमीरपुर | 2019–20 |
| 10 | सांख्यिकीय सारांश जिला कांगड़ा | 2019–20 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | सांख्यिकीय सारांश जिला शिमला | 2019–20 |
| 12 | सांख्यिकीय सारांश जिला मण्डी | 2019–20 |
| 13 | सांख्यिकीय सारांश जिला किन्नौर | 2019–20 |
| 14 | सांख्यिकीय सारांश जिला सोलन | 2019–20 |
| 15 | सांख्यिकीय सारांश जिला कुल्लू | 2019–20 |
| 16 | सांख्यिकीय सारांश जिला ऊना | 2019–20 |
| 17 | सांख्यिकीय सारांश जिला सिरमौर | 2019–20 |
| 18 | जिला ऊना एक दृष्टि में | 2019–20 |
| 19 | जिला कुल्लू एक दृष्टि में | 2019–20 |
| 20 | जिला मण्डी एक दृष्टि में | 2019–20 |
| 21 | जिला बिलासपुर एक दृष्टि में | 2019–20 |
| 22 | जिला कांगड़ा एक दृष्टि में | 2019–20 |
| 23 | जिला सोलन एक दृष्टि मे | 2019–20 |
| 24 | जिला किन्नौर एक दृष्टि में | 2019–20 |
| 25 | जिला शिमला एक दृष्टि में | 2019–20 |
| 26 | जिला सिरमौर एक दृष्टि में | 2019–20 |
| 27 | जिला चम्बा एक दृष्टि में | 2019–20 |
| 28 | जिला हमीरपुर एक दृष्टि में | 2019–20 |
| 29 | जिलावार आय अनुमान आधार वर्ष 2011–12 पर 2018–19 व2019–20 तक के अनुमान तैयार कर लिए गए है। | |
| 30 | राज्यों के वित्त से सम्बन्धित तुलनात्मक अध्ययन | 2020–21 |
| 31 | हि0प्र0 सरकार का संक्षिप्त बजट | 2021–22 |
| 32 | हि0प्र0 के कर्मचारियों की गणना | 31मार्च, 2020 |
| 33 | जिला सुशासन सूचकांक | 2018–19 |

## 7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियों जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।

विभाग के पास इस सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है अपितु लोक प्रतिनिधियों द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को उनकी जरूरत के अनुसार विभाग उन्हें उपलब्ध करवाता है।

## 8. विभाग की वित्तीय स्थिति

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आंबटित बजट वर्ष 2020–21 के दौरान विभाग की आय, व्यय और बजट का विवरणिका विभाग की वित्तीय स्थिति वर्ष 2020–21 के लिए निम्न दर्शायी गईः–

## विभाग का बजट एवं व्यय

वर्ष 2020–21

| मांग संख्या | बजट (लाखों में) | | खर्चा (लाखों में) | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना 100%केन्द्रीय प्रायोजित | गैर–योजना | योजना | गैर–योजना |
| 1. | – | 3. | 4. | 5. |
| 29 | – | 1202.72 | – | 956.72 |
| 31 | – | 95.18 | – | 51.00 |
| 19 | | 21.64 | – | 21.64 |
| 21 | | | | |
| i) | Stationery | 138 | | 1.38 |
| ii) | Printing | 0.74 | | 0.74 |

## 9. सहायकी कार्यक्रम के निशपादन की नीति जिसमें आंबटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण सम्मिलित है:

जहां तक विभाग का संबंध है ऐसा कोई सहायकी कार्यक्रम नहीं है।

## 10. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

इस विभाग द्वारा अनुदान संबन्धित कार्यक्रम नहीं चलाए जाते हैं।

## 11. इलैक्ट्रोनिक रूप में प्रकाशनों की सूची

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21
2. संक्षिप्त बजट 2021–22
3. सांख्यिकीय वार्षिक पुस्तिका 2019–20
4. हि0 प्र0 के संक्षिप्त आंकड़े 2019–20
5. हि0 प्र0 के बजट का आर्थिक वर्गीकरण 2020–21
6. राज्य और जिलों के सांख्यिकीय सारांश 2019–20
7. हि0 प्र0 के कर्मचारियों की गणना 31 मार्च, 2020
8. समस्त जिलों के विकास खण्ड सूचकांक 2019–20
9. समस्त जिलों का प्रकाशन जिला एक दृष्टि में 2019–20

## 12. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां,जिसमें किसी पुस्तकालय यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है, तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं।

विभाग द्वारा निदेशालय के अन्दर सुसज्जित पुस्तकालय व अध्ययन कमरे का अनुरक्षण किया है। पुस्तकालय में अर्थशास्त्र, गणित, वाणिज्य, सांख्यिकीय व अन्य सम्बन्धित विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। शोधकर्ता/विश्वविद्यालय के छात्र पुस्तकालय में विभिन्न

प्रकार के सांख्यिकीय आंकडें व प्रकाशनों का अध्ययन करने व आंकड़े एकत्रित करने आते है। पुस्तकालय हर कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है।

ऐसी अन्य सूचनाएं जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अध्यतन करेगा।

## 13. विभाग में पदों का विवरणः–

| क्र0 सं0 | पद का नाम | स्वीकृत पद | भरे गए पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| | आर्थिक सलाहकार | 1 | 1 | . |
| | संयुक्त निदेशक | 1 | 1 | . |
| | उप– निदेशक | 2 | 2 | . |
| | अनुसंधान अधिकारी | 17 | 14 | 3 |
| | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 28 | 13 | 15 |
| | सांख्यिकीय सहायक | 42 | 18 | 24 |
| | अन्वेषक | 24 | 21 | 3 |
| | **योग तकनीकी कर्मचारी** | **115** | **70** | **45** |
| | **कुल प्रशासनिक कर्मचारी** | | | |
| | अधीक्षक ग्रेड–I | 1 | 1 | . |
| | निजी सचिव | 1 | 1 | . |
| | अधीक्षक ग्रेड–II | 2 | 2 | . |
| | वरिष्ठ सहायक | 17 | 3 | 14 |
| | वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक | 1 | 1 | . |
| | कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक | 1 | 0 | 1 |
| | कनिष्ठ सहायक/ लिपिक | 17 | 12 | 5 |
| | कनिष्ठ कार्यालय सहायक | 5 | 3 | 2 |
| | चालक | 3 | 3 | 0 |
| | दफ्तरी | 1 | 1 | . |
| | फोटोस्टेट मशीन ऑप्रेटर | 1 | 1 | . |
| | चपड़ासी/चौकीदार | 34 | 26 | 8 |
| | सफाईकर्ता | 1 | 0 | 1 |
| | **कुल प्रशासनिक कर्मचारी** | **85** | **54** | **31** |
| | **योग** | **200** | **124** | **76** |

**उपरोक्त सृजित पदों में सम्मिलित एक–एक पद वरिष्ठ सहायक, चालक और चपड़ासी का राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आबंटित है।**

## 14. विभाग के मुख्य प्रशासनिक/कार्यकारी अधिकारी निम्न हैं:–

- **प्रभारी मंत्री** — **श्री जयराम ठाकुर (माननीय मुख्यमंत्री हि0 प्र0)**
- **अतिरिक्त मुख्य सचिव/(आर्थिक एवम् सांख्यिकी)** — **श्री प्रबोध सक्सेना**
- **आर्थिक सलाहकार** — **डा0 विनोद कुमार**

## 15. सूचना का अधिकार नियम–2005

सरकार द्वारा सूचना का अधिकार नियम–2005 के अधिनियम को लागू करने के लिए सितम्बर, 2005 में दिशा निर्देश जारी किए गए। इन दिशा निर्देशों के अुनसार विभाग द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू कर दिया है व निदेशालय एवम् जिला कार्यालयों से सम्बन्धित अपील प्राधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारियों की नामवार नियुक्तियां भी कर दी गई हैं।

| | **विभाग के कार्य एवं कर्तव्य** | **कृपया पृष्ठ 1 से 12 तक का अवलोकन करें।** |
|---|---|---|
| **(i)** | **अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य।** | **<u>आर्थिक सलाहकार</u>**<br>विभाग का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण आर्थिक सलाहकार (आर्थिक एवं सांख्यिकी) कार्य निष्पादन में सरकार की सहायता करते हैं तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (आर्थिक एवं सांख्यिकी) हिमाचल प्रदेश के नियन्त्रण में कार्य करते हैं।<br><br>**<u>संयुक्त निदेशक</u>**<br>संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वह आर्थिक सलाहकार (आर्थिक एवं सांख्यिकी) के साथ विभिन्न दायित्व निर्वाहन एवं कार्य जैसे प्रारूपण, कार्यान्वयन एवं समय–समय पर सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन में कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।<br><br>**<u>उप–निदेशक</u>**<br>सभी उप–निदेशक विभाग के विभिन्न प्रभागों के जैसे कि राज्य आय, मूल्य, सांख्यिकी का सुदृढ़ीकरण, अधिकारिक ऑकड़े, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के नियन्त्रक हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| | | **अनुसंधान अधिकारी**<br>विभाग के विभिन्न प्रभागों के नियन्त्रण में उप–निदेशकों की सहायता करते हैं। सभी नस्तियां उनके माध्यम से उप–निदेशकों को भेजी जाती हैं। अनुसंधान अधिकारियों को उपलब्ध करवाया गया स्टाफ एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जिला कार्यालय में क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा प्रारूप दिया जाता है।<br><br>**सहायक अनुसंधान अधिकारी**<br>विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं प्रत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर के निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं।<br><br>**सांख्यिकी सहायक**<br>विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं प्रत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं।<br><br>**अन्वेषक**<br>विभाग के विभिन्न प्रभागों में कार्यरत हैं तथा अनुसंधान अधिकारियों द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं, उनका निष्पादन करते हैं।<br><br>**अधीक्षक ग्रेड–I**<br>अधीक्षक वर्ग– Iआर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रशासनिक कक्ष के समस्त प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करते हैं। प्रशासन विभाग की सभी नस्तियां प्रशासनिक प्रस्तावों सहित अधीक्षक वर्ग–II अधीक्षक वर्ग–I माध्यम से उच्च स्तर पर निर्णय प्रस्तुत करते हैं।<br><br>**अधीक्षक ग्रेड–II**<br>अधीक्षक ग्रेड–II प्रशासन कक्ष में कार्यरत सभी कर्मचारियों के कार्यों पर नज़र रखते हैं, तथा प्रशाासन कक्ष के सभी सहायक अपनी–अपनी नस्तियां प्रशासनिक प्रस्तावों सहित अधीक्षक वर्ग–I को आगामी निर्णय हेतु अधीक्षक ग्रेड–II माध्यम से प्रस्तुत करते हैं।<br><br>**वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक**<br>विभाग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों को अधीक्षक वर्ग–II के माध्यम से उच्च स्तर पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| | | **लिपिक**<br>यह प्रशासन में कार्यरत हैं तथा अधीक्षक वर्ग–1 आहरण एवं वितरण अधिकारी/अधीक्षक ग्रेड–II द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करते हैं।<br><br>**निजी सचिव/वरिष्ठ आशुलिपिक/कनिष्ठ आशुलिपिक**<br>ये कर्मचारी विभागाध्यक्ष, संयुक्त निदशक एवं उप–निदेशकों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने के लिए कार्यरत हैं तथा विभाग की गोपनीय किस्म की नस्तियों तथा अभिलेखों का रख–रखाव करते हैं।<br><br>**प्रतिलिपि यन्त्र चालक**<br>विभाग की फोटोस्टेट मशीनों का संचालन करते हैं।<br><br>**दफ्तरी**<br>विभाग के रिकार्ड रूम या अनुभागों में फाइलों की व्यवस्था एवं सिलाई का कार्य करना है।<br><br>**सेवादार**<br>विभाग की डाक, नस्तियों को लाना व ले जाना, टेबल इत्यादि की सफाई तथा कार्यालय मेनुअल के अनुरूप कार्य करते हैं।<br><br>**चौकीदार**<br>विभाग के सभी कमरों पर प्रतिदिन सायं छुट्टी के उपरान्त निगरानी/देखरेख रखते हैं।<br><br>**सफाई कर्मचारी**<br>विभाग के कमरों, वरामदों, शौचालयों एवं वास वेशनों की सफाई हेतु नियुक्त हैं। |
| **(ii)** | प्रतिबद्धता एवं परिवेक्षण हेतु निर्णय प्रक्रिया के लिए अपनाई गई विधि एवं माध्यम | आर्थिक सलाहकार (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभागाध्यक्ष हैं तथा उनमें विभागाध्यक्ष की सभी शक्तियां निहित हैं। विभाग के विभिन्न अधिकारी विभागीय कार्यों को निपटाने एवं उचित निर्णय लेने हेतु विभागाध्यक्ष की सहायता करते हैं। विभागाध्यक्ष विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कार्य सौंपते हैं। विभाग की नस्तियां प्रभागाध्यक्षों के माध्यम से अन्तिम निर्णय हेतु सलाहकार (आर्थिक एवं सांख्यिकी) को प्रस्तुत की जाती है। |
| **(iii)** | कार्य निष्पादन हेतु मापदण्ड | विभाग के भिन्न–2 कार्य विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा समय–2 पर निर्धारित नियमों/नीतियों एवं शक्तियों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| **(iv)** | नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली एवं अभिलेख जो विभाग में है अथवा इनके नियन्त्रण या इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयोग किए जा रहे हैं। | विभाग में प्रयोग किए जा रहे नियमों/विनियमों, निर्देश नियमावली का संक्षिप्त विवरण निम्न है:–<br>1. सी.सी.एस. लीव रूल्स, 1972<br>2. सी.सी.एस. एण्ड सी.सी.ए. रूलज़<br>3. एच.पी.एफ.आर. रूलज़<br>4. एच.पी.एफ.आर. एण्ड एस आर रूलज़<br>5. मैडिकल अटेन्डैंस सुविधा नियम<br>6. गृह निर्माण अग्रिम रूलज़<br>7. यात्रा अवकाश रूलज़<br>8. बजट मैनुअल<br>9. ऑफिस मैनुअल<br>10. पैंशन नियम<br>11. सामान्य भविष्य निधि नियम |
| **(v)** | दस्तावेजों का विवरण जोकि विभाग में है या इसके नियन्त्रण में हो। | आर्थिक सर्वेक्षण, प्रशासनिक रिपोर्ट, हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में बजट, जिला घरेलु उत्पाद, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की गणना सांख्यिकी वार्षिक पुस्तिका, राज्य सांख्यिकी सार, जिला स्तर के आर्थिक संकेतांक, लिंग सांख्यिकी, आर्थिक गणना, शहरी स्थानीय निकायों का बजट, मूल्य एवं सूचकांक सांख्यिकी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। |
| **(vi)** | प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला मासिक परिश्रमिक तथा नियम प्रणाली। | सरकार द्वारा समय–2 पर निर्धारित वेतनमानों के आधार पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं। |
| **(vii)** | रियायतों के पात्रों का विवरण। | लागू नही है। |
| **(viii)** | इलैक्ट्रॉनिक तरीके से सूचना उपलब्ध बारे। | विभाग की वैवसाइट बनाई है। विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना विभाग की वैवसाइट <u>www.himachal.nic.in/economics</u> पर उपलब्ध है। |
| **(ix)** | लोगों/नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु पुस्तकालय या कार्यालयों का प्रावधान हो तो उसका विवरण जिसमें समय का विवरण भी हो। | विभाग के मुख्यालय एवं जिलों से सम्बन्धित कोई भी सूचना विभाग के कार्यालयों से 10.00 से 5.00 बजे सायं तक, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर, प्राप्त की जा सकती है। |
| **(x)** | ऐसी अन्य कोई सूचना हो तथा हर वर्ष अपडेट की जानी हो। | लागू नहीं है। |

‘

## सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत उप–नियम 4(1)(बी) के अन्तर्गत सूचनाः

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के सहायक जन सूचना अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी का विवरण

**भाग–I**

| क्रम सं0 | प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक जन सूचना अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी) | पदनाम | पता, दूरभाष सहित | क्षेत्राधिकार/यूनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| **(क) मुख्यालय स्तर पर** | | | | |
| 1. | डा0 विनोद कुमार<br>अपीलीय अधिकारी | आर्थिक सलाहकार | सांख्यिकी भवन,<br>ब्लॉक नं0–38,<br>एस0डी0ए0 कम्पलैक्स,<br>कसुम्पटी, शिमला–9<br>दूरभाष नं0.<br>0177–2626302 | मुख्यालय स्तर पर |
| 2. | श्री अनुपम कुमार शर्मा,<br>जन सूचना अधिकारी | संयुक्त निदेशक | सांख्यिकी भवन,<br>ब्लॉक नं0–38,<br>एस0डी0ए0 कम्पलैक्स,<br>कसुम्पटी शिमला –9<br>दूरभाष नं0 177–2626206 | मुख्यालय स्तर पर |
| 3. | श्री सुकीन दड़ोच,<br>सहायक जन सूचना अधिकारी | निजी सचिव | सांख्यिकी भवन,<br>ब्लॉक नं0–38,एस0डी0ए0 कम्पलैक्स,कसुम्पटी,<br>शिमला –9<br>दूरभाष नं0.177–2626302 | मुख्यालय स्तर पर |

**भाग–II**

| क्रम सं0 | प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक जन सूचना अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों एव अपील प्राधिकारी ) | पदनाम | पता, दूरभाष सहित | क्षेत्राधिकार/युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| **(ख) जिला स्तर पर** | | | | |
| | | **जिला बिलासपुर** | | |
| 1. | श्री सुशील कुमार,<br>जन सूचना अधिकारी | अनुसंधान अधिकारी | 01978–224829 | जिला स्तर पर |
| 2. | श्रीमती सीमा<br>सहायक जन सूचना अधिकारी | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 01978–224829 | जिला स्तर पर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **जिला चम्बा** | | | | |
| 1. | श्री प्रेम प्रकाश,<br>जन सूचना अधिकारी | अनुसंधान अधिकारी | 01899–222301 | जिला स्तर पर |
| 2. | श्री उमेश ठाकुर,<br>सहायक जन सूचना अधिकारी | सांख्यिकी सहायक | 01899–222301 | जिला स्तर पर |
| | | | | |
| **जिला हमीरपुर** | | | | |
| 1. | श्री सुनील कुमार,<br>जन सूचना अधिकारी | अनुसंधान अधिकारी | 01972–222397 | जिला स्तर पर |
| 2. | श्री अशोक कुमार,<br>सहायक जन सूचना अधिकारी | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 01972–222397 | जिला स्तर पर |
| **जिला कांगड़ा** | | | | |
| 1. | श्री पवन सिंह,<br>जन सूचना अधिकारी | अनुसंधान अधिकारी | 01892–223197 | जिला स्तर पर |
| 2. | श्री हरबंस लाल<br>सहायक जन सूचना अधिकारी | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 01892–223197 | जिला स्तर पर |
| **जिला किन्नौर** | | | | |
| 1. | श्री योग राज गार्ग,<br>जन सूचना अधिकारी | अनुसंधान अधिकारी, अतिरिक्त कार्यभार जिला सांख्यिकी कार्यालय, किन्नौर | 01786–222434 | जिला स्तर पर |
| 2. | श्री राजेंद्र कुमार,<br>सहायक जन सूचना अधिकारी | कनिष्ठ सहायक | 01786–222434 | जिला स्तर पर |
| **जिला कुल्लू** | | | | |
| 1. | श्री काहन सिंह,<br>जन सूचना अधिकारी | अनुसंधान अधिकारी | 01902–222283 | जिला स्तर पर |
| 2. | श्रीमती स्वर्ण लता,<br>सहायक जन सूचना अधिकारी | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 01902–222283 | जिला स्तर पर |
| **जिला लाहौल एवं स्पिति** | | | | |
| 1. | श्री चैन लाल ठाकुर,<br>जन सूचना अधिकारी | सहायक पंजीयक सहकारी समिति, अतिरिक्त कार्यभार जिला सांख्यिकी कार्यालय | 01900–222422 | जिला स्तर पर |
| 2. | श्री महेन्द्र सिंह,<br>सहायक जन सूचना अधिकारी | कनिष्ठ सहायक | 01900–222422 | जिला स्तर पर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **जिला मण्डी** | | | | |
| 1. | श्री एम. एल. राणा, जन सूचना अधिकारी | अनुसंधान अधिकारी | 01905—222129 | जिला स्तर पर |
| 2. | श्री सोहन लाल, सहायक जन सूचना अधिकारी | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 01905—222129 | जिला स्तर पर |
| **जिला शिमला** | | | | |
| 1. | श्री विजेन्द्र मेहता, जन सूचना अधिकारी | अनुसंधान अधिकारी | 0177—2623576 | जिला स्तर पर |
| 2. | श्री भीम सैन चौहान, सहायक जन सूचना अधिकारी | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 0177—2623576 | जिला स्तर पर |
| **जिला सोलन** | | | | |
| 1. | श्री राकेश कुमार, जन सूचना अधिकारी | अनुसंधान अधिकारी | 0179—223740 | जिला स्तर पर |
| 2. | श्रीमति पदमा, सहायक जन सूचना अधिकारी | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 01792—223740 | जिला स्तर पर |
| **जिला सिरमौर** | | | | |
| 1. | श्री राकेश कुमार, जन सूचना अधिकारी | अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त कार्यभार जिला सांख्यिकी कार्यालय | 01702—222341 | जिला स्तर पर |
| 2. | श्री राजेश कुमार, सहायक जन सूचना अधिकारी | सांख्यिकी सहायक | 01702—222341 | जिला स्तर पर |
| **जिला ऊना** | | | | |
| 1. | श्री सुनील कुमार, जन सूचना अधिकारी | अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त कार्यभार जिला सांख्यिकी कार्यालय | 01975—226042 | जिला स्तर पर |
| 2. | श्री जय दयाल, सहायक जन सूचना अधिकारी | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 01975—226042 | जिला स्तर पर |
| | | | | |

इस प्रकाशन का हर वर्ष अध्यतन किया जाएगा।

# हिमाचल प्रदेश सरकार

# वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
# 2020—2021

## आर्थिक एवम् सांख्यिकी विभाग
## हिमाचल प्रदेश सरकार

# विषय सूची


| क्रम संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | विभाग के कार्य तथा गतिविधियों का विवरण | 1 |
| 1.1 | राज्य आय का संकलन | 2 |
| 1.2 | सार्वजनिक वित्त | 2–3 |
| 1.3 | सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण | 3–4 |
| 1.4 | ग्रामीण विकास सांख्यिकी | 4 |
| 1.5 | कर्मचारी गणना | 4–5 |
| 1.6 | राज्य का आंकड़ा भण्डार | 5 |
| 1.7 | भाव सम्बन्धित आंकड़े | 5 |
| 1.8 | श्रम ब्यूरों से सम्बन्धित आंकड़े | 6 |
| 1.9 | सांख्यिकी प्रशिक्षण | 6 |
| 1.10 | सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम | 7 |
| 1.11 | अन्य विभागों के सांख्यिकी सम्बन्धी कार्यों में समन्वय | 7 |
| 1.12 | राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के बजट का आर्थिक वर्गीकरण | 7 |
| 1.13 | अन्य विशेष कार्यक्रम | 7 |
| 1.14 | सातवीं आर्थिक गणना | 7–8 |
| 1.15 | राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग | 8 |
| 1.16 | सांख्यिकीय को सुदृढ़ करने के लिए सहायता | 8–10 |
| 2 | जिला सांख्यिकी कार्यालय | 10 |
| 3 | निर्णय लेने, निरीक्षण तथा उत्तरदायित्व के अनुसरण हेतु प्रक्रिया का बनाना। | 11 |
| 4 | कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानक | 11 |
| 5 | कृत्यों के निर्वाहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख | 11 |
| 6 | विभागों के मुख्य प्रकाशन | 11–12 |
| 7 | किसी व्यवस्था की विशिष्टियों जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान | 12 |
| 8 | विभाग की वित्तीय स्थिति | 12 |
| 9 | सहायकी कार्यक्रम के निशपादन की नीति | 13 |
| 10 | अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां | 13 |
| 11 | इलैक्ट्रोनिक रुप में प्रकाशनों की सूची | 13 |
| 12 | सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां | 13 |
| 13 | विभाग में पदों का विवरण | 14 |
| 14 | विभाग के मुख्य प्रशासनिक/कार्यकारी अधिकारी | 15 |
| 15 | सूचना का अधिकार नियम, 2005 | 15–21 |